न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 82/2021 GCMS No. 2021/218
दायरा तिथि : 21.09.2021
फैसला तिथि : 24-01-2023

प्रार्थीगण :–

1. किशोरसिंह पुत्र सेरींगजी
2. रामसिंह पुत्र शिवनाथसिंहजी तमाम जाति राजपुरोहित
   निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. जगपालसिंह पुत्र गणपतसिंहजी
2. जगदीशचन्द्र पुत्र पूनमचन्दजी जाति पुरोहित
   निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री अमृत परिहार.................... अभिभषक प्रार्थीगण की ओर से
2. अप्रार्थी संख्या 01, 02......... अनुपस्थित।
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार............. पैरोकार सरकार

दिनांक 24-01-2023

–:: आदेश ::–

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बीजापुर तहसील बाली में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 1841 रकबा 0.34 हैक्टर में भू0 आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 25.06.2002 को अतिक्रमी पूनमसिंह पुत्र भोमसिंह पुरोहित निवासी बीजापुर को 0.24 हैक्टर भूमि का नियमन किया गया। आवंटन नियमन सलाहकार समिति द्वारा राजकीय सिवाय चक खसरा नंबर 1841 कुल रकबा 0.34 हैक्टर मेंसे 0.10 हैक्टर भूमि रोड साईड की छोडते हुये 0.24 हैक्टर का नियमन किया गया, जिसका नियमन आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया। उक्त नियमन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 896 दिनांक 02.08.2002 स्वीकृत करते हुये रोड साईड में छोडी गयी भूमि खसरा नंबर 0.10 हैक्टर के खसरा नंबर 1841/1 अंकित किये गये पुनमसिंह पुत्र भोमसिंहजी को नियमित भूमि रकबा 0.24 हैक्टर मूल खसरा नंबर 1841 रखे गये। नियमन आदेश के अनुसार खसरा नंबर 1841/1 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि को खसरा नंबर 1956 गै.मु. सडक के समानान्तर राजस्व नक्शा ट्रैस में तरमीम करना था परन्तु तथाकथित आवंटी पूनमसिंह पुत्र भोमसिंह, अप्रार्थी संख्यया 01 व 02 ने अप्रार्थी संख्या 03 के अधिनस्थ कर्मचारियो के साथ षडयन्त्र रचकर आवंटन/नियमन आदेश में उल्लेखित **शर्त" 0.10 हैक्टर रोड साई छोडी गई"** की अनदेखी कर गलत तौर से तरमीम किया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि बीजापुर के खसरा नंबर 1840 खसरा नंबर 1841/1 के पडौस में स्थित होने से उक्त गलत तरमीम होने से प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 मूल आवंटी के अंतिम हस्तान्तरिति है, के द्वारा नक्शे में हुई त्रुटिपुर्ण तरमीम को आधार मानते हुये सिवाय चक भूमि पर हस्तक्षेप की कार्यवाही की जा रही है। राजस्व नक्शे में हुई गलत तरमीम को शुद्ध करने के अधिकार इस न्यायालय को होने से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बीजापुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 1841 रकबा 0.24 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1841/1 रकबा 0.10 हैक्टर को गै.मु. सडक 1956 के समानान्तर नये सिरे से प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित **मार्क अ से ब** के अनुसार तरमीम शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य मूल नजरी नक्शा, प्रमाणित प्रतिलिपि भूमि नियमन रिपोर्ट, फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 896 स्वीकृति दिनांक 2.08.2002, फोटो प्रति जमाबंदी सवंत् 2074 से 2079, प्रमाणित प्रतिलिपि ऑनलाईन नक्शा प्रति खसरा नंबर 1840, प्रमाणित प्रतिलिपि ऑन लाईन खसरा नंबर 1841/1, नजरी नक्शा की प्रति पेश की गई।

प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 का नोटिस लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ तथा अप्रार्थी संख्या 02 का नोटिस बाद तामील प्राप्त होने तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 बावजुद नोटिस तामील के वकालतन/ असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 15.12.2021 से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, तथा तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई।

पेज लगातार.............02

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 82/2021 GCMS No. 2021/218
अनवान् किशोरसिंह वगैरा बनाम जगपालसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बीजापुर ने जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया किया नियमन के समय दर्ज नामान्तरकरण संख्या 896 के पुश्त पर नियमन की गई भूमि का नजरी नक्शा संलग्न नही है तथा न ही उस वक्त के राजस्व नक्शे में तरमीम की गई। सेग्रीगेशन के समय उक्त खसरे की तरमीम की गई है। तथा तरमीम के अनुसार ही खातेदार का कब्जा काश्त है। पटवरी हल्का, बीजापुर व निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर ने रिपोर्ट के साथ मौके का नजरी नक्शा भी बनाया गया, जिसमें खसरा नंबर 1841/1 की वर्तमान नक्शे में तरमीम की स्थिति एवं प्रार्थीगण द्वारा संशोधन के द्वारा चाही खसरा नंबर 1841/1 की प्रस्तावित तरमीम के नक्शे की स्थिति भी दर्शाई गई।

तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। तथा इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानो का अवलोकन किया गया। 131. **Maintenance of Map and Field Book- After the survey and record operation are over, the map and field book shall be maintained by the Land Records officer, in accordance with the rules made by the state Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded tferin all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or fileld and shall correct any errors wich are shown to have been made in such map or field book. According to section 131, the Land Record Officer(i.e. collector or S.D.O. as the case may be) shall be responsible for the proper maintenance of the map, and field book and to record necessary changes from time to time in accordance with the Raj. Land Revenue (Land Record) Rules, 1957.**

इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 में **नक्शा (मानचित्र)** के संबध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निरीक्षक भू0 अभिलेख एवं सबंधित राजस्व अधिकारी **नक्शे की शुद्धि किये लिये जिम्मेदार हैं।** इस संबध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के **अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार**– उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ–साथ **अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं** तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता हैं। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई हैं। उपखण्ड अधिकारी की भू0 अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता हैं।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से ज्ञात हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि बीजापुर के खसरा नंबर 1840 स्थित है, प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1840 तथा खसरा नंबर 1956 गै.मु. सडक के बीच में खसरा नंबर 1841 की भूमि है। खसरा नंबर 1841 मेंसे 0.24 हैक्टर मूल रूप से पूनमसिंह पुत्र भोमसिंह पुरोहित निवासी बीजापुर को दिनांक 25.06.2002 को नियमन की गई तथा उनके द्वारा भूमि का बेचान किये जाने से अब अंतिम हस्तान्तरिति के तौर पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 1841 रकबा 0.24 हैक्टर के खातेदार दर्ज है। नियमन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि भूमि नियमन के समय रोड साईड में 0.10 हैक्टर भूमि छोडते हुये भूमि नियमन की गई। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 896 दिनांक 02.08.2002 को स्वीकृत किया गया, परन्तु तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का बीजापुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार वक्त नामान्तरकरण नक्शे में तरमीम नहीं की गई, तथा सेग्रीगेशन के समय मौके पर काबिज के अनुसार खसरा नंबर 1841 की भूमि को खसरा नंबर 1956 गै.मु. सडक से सटता रखते हुये खसरा नंबर 1841/1 एक तरफ रखते हुये सेग्रीगेशन के बाद ऑन लाईन के नक्शे में स्थिति दर्ज कर दी। नक्शे में उक्तानुसार तरमीम होने से प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1840 व गै.मु. सडक खसरा नंबर 1956 के बीच में अप्रार्थीगण की खरिद शुदा भूमि खसरा नंबर 1841 आ गई। नक्शे में दर्ज इस स्थिति से प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि तक पहुॅच का मार्ग बाधित हो गया।

पेज लगातार.............03

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2021 GCMS No. 2021/218
भगवान् किशोरसिंह वगैरा बनाम जगपालसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

इस प्रकार प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि पूनमसिंह पुत्र भोमसिंह को दिनांक 25.06.2002 को नियमन शुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 896 स्वीकृत करते समय माफिक नियमन आदेश नक्शे में तरमीम नहीं की गई, तथा तहसील ऑन लाईन सेग्रीगेशन के दौरान् हुई तरमीम नियमन आदेश के विरूद्व सडक के पास 0.10 हैक्टर भूमि को नहीं छोडते हुये खसरा नंबर 1841 रकबा 0.24 हैक्टर की तरमीम सडक से सटते हुये करते हुये खसरा नंबर 1841/1 की तरमीम एक तरफ नीचे की ओर कर दी गई, जबकि नियमन आदेश के अनुसार खसरा नंबर 1841/1 की तरमीम खसरा नंबर 1956 गै.मु. सडक से सटती हुई होनी आवश्यक थी। जिससे पटवारी हल्का, बीजापुर व निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के साथ तैयार मौका नवशा के अनुरूप नक्शे में शुद्धि किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत प्रतीत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 131, 136 स्वीकार किया जाता है। माफिक रिपोर्ट पटवारी हल्का, बीजापुर व तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 1841/1 रकबा 0.10 हैक्टर की तरमीम पर खसरा नंबर 1956 गै.मु. सडक से सटते हुये नक्शे में शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का बीजापुर द्वारा प्रस्तुत मौका नजरी नवशा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बीजापुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible] स्नेहल [illegible])
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)

आदेश आज दिनांक 25-1-23 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज)

Scanned with CamScanner